बिहार सरकार
अभियंता प्रमुख का कार्यालय
लघु जल संसाधन विभाग,
जल भवन, तृतीय तल्ला, राईडिंग रोड, शेखपुरा, पटना ।

E-mail Id- engg.chf-bih@gov.in

आदेश

का0आ0–अभि0प्र0 / ल0ज0सं0वि0 / मु0 स्था0–29–01 / 2025– 953 /पटना, दिनांक– 21 / 08 /2025

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस0एल0पी0 (सी0) सं0–7257 / 2023 शशि भूषण प्रसाद सिंह बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक–04.10.2024 को पारित न्याय निर्णय के आलोक में बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना के पत्रांक–20 दिनांक–01.01.2025 एवं पत्रांक–671 दिनांक–24.02.2025 द्वारा विज्ञापन सं0–01 / 2019 के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निम्नांकित 01 (एक) अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्तों के अधीन कनीय अभियंता (असैनिक) के पद पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतन स्तर 07 एवं समय–समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्त किया जाता है:–

क्र0	अभ्यर्थी का नाम / गृह जिला	पिता / पति का नाम / स्थायी पता	समेकित मेधा क्रमांक / पंजीयन सं0	जन्म तिथि	आवेदन की कोटि / चयनित कोटि	फोटो
1.	मो0 असजद बेलाल / दरभंगा	जहीर अहमद, मो0+पो0–गरौल, थाना–अलीनगर ओ0पी0 वार्ड सं0–09, जिला–दरभंगा, पिन कोड–847423	6991 BR00150010062344	05/03/1998	EWS / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	

2. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथमदृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. यह नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण–पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों / अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी।

4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है। यदि भविष्य में अभ्यर्थी {नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक)} के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य / जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि / पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

5. वैसे अभ्यर्थी जो पहले से सरकारी / अर्द्ध सरकारी संस्थानों / निकायों में कार्यरत है, उन्हें योगदान के समय नियोक्ता संस्थान के सक्षम प्राधिकार से निर्गत विरमन–पत्र / स्वीकृत त्यागपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त परामर्श के आलोक में जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निर्गत पत्रांक–171 दिनांक–14.01.2025 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तें अधिरोपित होंगे:–

(i) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित कनीय अभियंता नियमित सरकारी सेवक नहीं है। अतः आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु उनकी अनुशंसा के क्रम में संबंधित विभाग द्वारा अनापति प्रमाण–पत्र (NOC) निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है। नियमित नियुक्ति के उपरांत ऐसे संविदा नियोजित कनीय

अभियंता संविदा नियोजन से त्याग–पत्र समर्पित करने के अगले दिन ही नियमित नियुक्ति के फलस्वरूप योगदान करेंगे।

(ii) बिहार सरकार के अंतर्गत संविदा नियोजित वैसे कनीय अभियंता जिनका आयोग द्वारा चयन के क्रम में संविदा अवधि में किये गये कार्यानुभव के लिए अंक की अधिमानता तथा अधिकतम उम्र–सीमा में छूट का लाभ प्रदत्त की गयी होगी, को उनके पदस्थापित प्रमंडल/कार्यालय में योगदान के समय उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनुभव प्रमाण–पत्र की जाँच कर संतुष्ट होना सुनिश्चित करेंगे। कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है।

(iii) जिन संविदा नियोजित कर्मियों के विरूद्व सम्प्रति अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है, उनके मामले में प्रशासी विभाग द्वारा प्रत्येक मामले के गुणा–गुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

(iv) संविदा अवधि में की गयी सेवा का किसी प्रकार का कोई लाभ नियमित नियुक्ति के उपरांत अनुमान्य नहीं होगा।

7. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प सं0–1964 दिनांक–31.08.2005 एवं 768 दिनांक–03.07.2007 के अनुसार इन कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

9. नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान उनके पदस्थापन के उपरांत नव पदस्थापन कार्यालय में योगदान की तिथि से देय होगा।

10. नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) के वेतनादि का भुगतान संबंधित नियंत्री पदाधिकारी द्वारा उनके शैक्षणिक प्रमाण–पत्रों के सत्यापनोपरांत किया जायेगा।

11. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली/माननीय उच्च न्यायालय, पटना में विज्ञापन सं0–01/2019 (कनीय अभियंता) के विरूद्व दायर विभिन्न वादों में पारित होने वाले अंतिम न्याय निर्णय के फलाफल से यह नियुक्ति प्रभावित होगी।

12. भविष्य में किसी प्रकार के त्रुटि अथवा पार्थक्यता पाये जाने पर इसे तदनुसार संशोधित/रद्द कर दिया जायेगा।

21/8/2025
(सुनील कुमार)
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक :– 953 /पटना, दिनांक– 21 / 08 /2025

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

अनुरोध है कि इसकी 25 (पच्चीस) मुद्रित अतिरिक्त प्रतियाँ, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

21/8/2025
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक :– 953 /पटना, दिनांक– 21 / 08 /2025

प्रतिलिपि :– महाधिवक्ता, बिहार, पटना/ सभी अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव/ सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/8/2025
अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक :– 953 /पटना, दिनांक– 21 / 08 / 2025

प्रतिलिपि :– प्रभारी सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/8/2025

अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक :– 953 /पटना, दिनांक– 21 / 08 / 2025

प्रतिलिपि :– सभी मुख्य अभियंता/ सभी अधीक्षण अभियंता/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी सहायक अभियंता/ संबंधित नवनियुक्त कनीय अभियंता, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/8/2025

अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक :– 953 /पटना, दिनांक– 21 / 08 / 2025

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ सभी विभागीय पदाधिकारी/ बजट शाखा/ आई0टी0 मैजेजर, लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

21/8/2025

अभियंता प्रमुख,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।